(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I -खण्ड–1 में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0 14 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 2017

विषयः– बांग्लादेश और भारत के बीच बॉर्डर पर बॉर्डर हाटों में व्यापार।

सार्वजनिक सूचना सं0 72/2009–2014 (आरई–2013) दिनांक 07.11.2014, सार्वजनिक सूचना सं0 15/2015–2020 (आरई–2015) दिनांक 3 जून, 2015 और सार्वजनिक सूचना सं0. 34/2015–2020 (आरई–2015) दिनांक 9 सितम्बर, 2015 के अधिक्रमण में विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.21 के साथ पठित पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच दिनांक 08/04/2017 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार व्यवस्था में संशोधन करते हैं:-

2. विदेश व्यापार नीति में निहित प्रावधानों के अनुसार (I) बालियामारी (कुरीग्राम जिला, बांग्लादेश) कालियाचार (पश्चिमी गारो हिल्स, भारत), (ii) लौवाघर (दालोरा, सुनमगंज जिला, बांग्लादेश)–बालट (पूर्वी खासी हिल्स, भारत), (iii) पूर्वी मदुग्राम और सागरिया का मध्य स्थान (फेनी जिला, बांग्लादेश)-श्रीनगर (पश्चिमी त्रिपुरा भारत) और (iv) तारापुर (ब्राहम्णबरिया जिला, बांग्लादेश) कमलसागर (सिपाहीजला जिला, त्रिपुरा, भारत) में बार्डर हाटों में निम्नलिखित वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी जाएगीः

क. स्थानीय स्तर पर उत्पादित सब्जियां, खाद्य सामग्रियाँ, फल, मसाले;

ख. लघु वन्य उत्पाद उदाहरणतया बैम्बू, बैम्बू ग्रास, और लकड़ी को छोड़कर झाडू;

ग. गमछा, लुंगी, साड़ी और कोई अन्य हथकरघा उत्पाद आदि जैसे कुटीर उद्योग के उत्पाद;

घ. छोटे घरेलू और कृषिगत उपकरण जैसे डाऊ, हल, कुल्हाड़ी, फावड़ा, छेनी आदि;

ड. वस्त्र, मैलामाइन उत्पाद, संसाधित खाद्य सामग्री, फलों का रस, प्रसाधन वस्तुएँ, सौंदर्य प्रसाधन, प्लास्टिक उत्पाद, एल्यूमीनियम उत्पाद, कुकरी और स्टेशनरी आदि;

च. पारस्परिक सहमति की शर्त के अधीन बॉर्डर हाटों के क्षेत्र में विशेष रूप से देशज स्वरूप का कोई उत्पाद।

3. नामोदि्दष्ट बॉर्डर हाटों में व्यापार हेतु अनुमत मदों की सूची में संयुक्त समिति की बैठक में परस्पर सहमति से विस्तार/संशोधन किया जा सकता है। क्रेता स्नैक खाद्य पदार्थों/जूस जैसी तत्काल खपत वाली मदों की पेशकश कर सकते हैं जो कि हाट प्रबंधन समिति द्वारा अनुमत हो।

4. विक्रेता और केता जिन्हें बॉर्डर हाटों में अपने उत्पाद बेचन/खरीदने के लिए अनुमति दी जाती है बॉर्डर हाटों की अवस्थिति से पाँच किमी. परिधि में आने वाले क्षेत्र के निवासी होने चाहिए। प्रत्येक देश से विक्रेताओं की संख्या लगभग पचास (50) तक सीमित होगी।

5. स्थानीय मुद्रा में और/अथवा वस्तु विनिमय आधार पर नामित बार्डर हाटों में वस्तुओं के विनिमय की अनुमति होगी। प्रत्येक व्यक्ति को बांग्लादेश/भारत में उत्पादित केवल उतनी वस्तुओं की खरीद करने की अनुमति होगी जो वास्तविक व्यक्ति/परिवार की खपत के लिए उचित हो। ऐसी खरीदी हुई वस्तुओं का अनुमानित मूल्य किसी खास दिन के लिए 200 अमेरिकी डॉलर के समतुल्य संबंधित स्थानीय मुद्रा से अधिक नहीं होना चाहिए। विदेशी मुद्रा से संबंधित विनियम नामित बार्डर हाटों में स्थगित रहेंगे।

6. सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

इससे भारत और बांग्लादेश के बीच दिनांक 08/04/2017 को हुए समझौता–ज्ञापन के तहत बॉर्डर हाटों के संबंध में व्यवस्था का संचालन होता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेलः dgft@nic.in

[फा0सं0: 01/93/180/11/एएम–12/पीसी–2(ख) से जारी]